Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **टोंक में तहसील निवाई में राजस्व पटवारी 60 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **एसीबी कार्यवाही की भनक लगने पर नायब तहसीलदार मौके से हुआ फरार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *09 जून, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर टोंक इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये जितेन्द्र बैरवा पटवारी पटवार हल्का पहाड़ी, तहसील निवाई, जिला टोंक को परिवादी से **60 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की टोंक इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी जमीन के बंटवारे (तकासमा) के वाद में फैसला पक्ष में करवाने की एवज में नायब तहसीलदार ओमप्रकाश सिंह एवं जितेन्द्र बैरवा पटवारी पटवार हल्का पहाड़ी, तहसील निवाई, जिला टोंक द्वारा **1 लाख 50 हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, अजमेर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी टोंक इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेश आर्य** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये जितेन्द्र बैरवा पुत्र श्री प्रहलाद बैरवा निवासी मजदूर बस्ती, वनस्थली, निवाई, टोंक हाल पटवारी पटवार हल्का पहाड़ी, तहसील निवाई, जिला टोंक को परिवादी से **60 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ओमप्रकाश सिंह नायब तहसीलदार, तहसील निवाई, जिला टोंक एसीबी कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।